न्याय पूर्ण बनो

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

न्याय का अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करना, किसी को दुःख न देना, अनुशासन में रहना न्याय कहलाता है। कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं। पक्ष–विपक्ष का बयान सुनकर वे न्याय देते हैं। प्रकृति का न्याय पूर्ण होता है। प्रकृति के नियमों का पालन करते है तो किसी तरह की कमियां नहीं रहती। ईश्वर के न्याय पर कभी किसी को कोई आपत्ती नहीं होती। वह अन्तिम न्यायालय है। सुकृत और दुष्कृत का परिणाम अपने आप मिलता है। अतः सुकृत करना चाहिए। न्याय को पाने में विलम्ब हो सकता है, लेकिन न्याय मिलता अवश्य है। एक कहावत है ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं। इसका तात्पर्य यह हैं कि न्याय में सत्य का पक्ष उद्घाटित होने में समय लग सकता है, किन्तु न्याय मिलता अवश्य है। हमारे देश में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर्गत यहां रहने वाले सभी लोगों को अपने मताधिकार का अधिकार है। अपनी इच्छानुसार सरकार चुनने का अधिकार है। यह प्रणाली न्याय की प्रणाली है। अच्छे काम का अच्छा पुरस्कार और बुरे काम का बुरा नतीजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

मानव की दृष्टि में न्याय का क्या अर्थ है? मानव की दृष्टि में न्याय का अर्थ है कानून को बिना किसी पक्षपात के लागु करना। न्याय, कानून, जिम्मेदारियों और अधिकारों से जुड़ा है। यह निष्पक्षता या किसी कि अच्छाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में न्याय का मतलब है ईश्वर का आदेश। ईश्वर वही करता है जो सही और उचित है। इसमें वह किसी का पक्ष नहीं लेता। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि वह कभी कोई अन्याय कर सकता है। यह कदापि सम्भव नहीं कि ईश्वर दुष्टता करें, और सर्वशक्तिमान अन्याय करें। निःस्वार्थ प्रेम ईश्वर के स्वभाव में है। ऐसा प्रेम उसे उक्साता है कि वह दूसरों के साथ धार्मिकता और न्याय से पेश आये। लालच और स्वार्थ जैसे गुण अन्याय को जन्म देते है। यह जाति, भेद, ऊंच–नीच और पक्षपात के अलग–अलग रूप में नजर आता है। ईश्वर अपने सभी प्राणियों से समान रूप से प्रेम करता है इसलिए वह सबके साथ न्याय करता है। किसी का

पक्षपात करने की भावना उसमें दूर–दूर तक नहीं है। ईश्वर के इस नियम से मानव को भी शिक्षा लेनी चाहिए और न्याय के पद पर बैठे हुए जो भी अधिकारी हों उनका भी यह कर्त्तव्य होता हैं कि लालच और प्रलोभन में आकर न्याय का गला न घोंटे। क्योंकि यदि ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग लालच और प्रलोभन में आकर दूसरों के साथ अन्याय करेंगे तो ईश्वर उनको ऐसा दंड देगा कि उनका न्याय करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए न्यायाधीश या अन्य अधिकारी वर्ग न्याय को गुणवत्ता के आधार पर करें, किसी दबाव या लालच में आकर न करें। आज की दुनियां में हर तरफ अन्याय और बुराई दिखाई दे रही है। अन्याय को अन्याय से समाप्त नहीं किया जा सकता। अन्याय को दूर करने के लिए न्याय का सहारा लेना पड़ता है। एक हत्यारा भी न्यायालय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक उपक्रमों को करता है। लेकिन न्याय से बच नहीं पाता। उसके अन्याय की सजा उसे अवश्य मिलती है।

ईश्वर अच्छाई का साथ देता है बुराई का नहीं। इसलिए मानव को अच्छा काम ही करना चाहिए। अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है। हमारे देश में संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कार की शिक्षा परिवार से शुरू होती है और धीरे–धीरे परिवार समाज और राष्ट्र में व्याप्त हो जाती है। एक संस्कारवान व्यक्ति से ही न्याय की इच्छा की जा सकती है। आजकल सामाजिक न्याय की बहुत अधिक चर्चा है। सामाजिक न्याय एक ऐसा न्याय है जो समाज के निम्नवर्ग के लोगों दबे, कुचलों, असहायों और ऐसे लोगों के उत्थान की बात करता है जो सदियों से न्याय से वंचित रहे है। ऐसे लोगों के लिए संविधान में राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ छूट दी गई है। समाज के ऐसे वंचित लोग कैसे आगे आये इसके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक उत्थान की व्यवस्था है। इसके द्वारा समाज के आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते है। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका विकास भी होगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सबको आगे बढ़ाने के साथ ही साथ अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। जब समाज के सभी वर्गों के लोग शिक्षित होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा और देश का विकास होगा। देश का विकास होने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों के

लोगों का विकास हो। यदि सभी आर्थिक रूप से समृद्ध और विकसित होंगे तो निश्चित ही भारत राष्ट्र का विकास होगा। भारत की न्यायिक प्रक्रिया की यह विशेषता है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा न होने पावे। इसीलिए न्याय प्रक्रिया में देरी होती है। पक्ष और विपक्ष के वकीलों द्वारा अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाता है। ऐसा करने में बहुत समय लगता है। न्यायाधीश पक्ष और विपक्ष की बात को सुनकर कानून के दायरे में अपना निर्णय देता है। न्यायाधीश का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होता है। गुण और दोष के आधार पर न्यायाधीश का निर्णय होता है। न्यायाधीश का रूप ईश्वर का रूप है। इसलिए न्यायाधीश का भी यह कर्त्तव्य होता है कि वह निष्पक्ष रूप से अपने निर्णय को दे। कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं।